

**विज्ञापन**  
**बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी**  
**ग्रामीण विकास विभाग**  
**बिहार, पटना**

**बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर**  
**संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन**

मनरेगा योजना के कार्यान्वयन हेतु पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक लेखा एवं तकनीकी कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निम्नांकित पदों पर उनके सामने अंकित पदों की संख्या के लिए ऑन-लाईन (Online) आवेदन दिनांक 07.09.2015 से 07.10.2015 तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के website- rdd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदों का नाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है :-

| क्र. सं. | पद का नाम           | संभावित रिक्तियों की संख्या    | नियुक्ति पदाधिकारी | अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता                                                                |
|----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | पंचायत रोजगार सेवक  | 4594<br>(जिलवार रिक्ति संलग्न) | जिला पदाधिकारी     | इन्टर पास अथवा समकक्ष योग्यता एवं न्यूनतम तीन (3) माह का कम्प्यूटर साक्षरता प्रामाण पत्र |
| 2        | लेखापाल             | 142<br>(जिलवार रिक्ति संलग्न)  | वही                | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से वाणिज्य में स्नातक डिग्री                      |
| 3        | पंचायत तकनीकी सहायक | 87<br>(जिलवार रिक्ति संलग्न)   | वही                | बी0एस0सी0 (भौतिक, रसायन, गणित, कृषि, वानिकी एवं अभियंत्रण में डिप्लोमा/डिग्री            |

**2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता :-**

- उम्र सीमा- चयन के वर्ष की पहली जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष है। बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा पूर्व सैन्य कर्मियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। यह छूट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दो (2) वर्ष, महिला उम्मीदवारों के लिए तीन (3) वर्ष तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच (5) वर्ष अनुमान्य होगी। पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच (5) वर्षों की छूट अनुमान्य होगी।

**3. चयन का आधार :-**

- इन्टर से आगे उत्तर डिग्री को जोड़कर तैयार मेधा क्रमानुसार

4. पैन्ल निर्माण के समय उपलब्धता/आवश्यकता के अनुसार रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग